न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 61/2017 तारीख रजू:—28.8.2017

1 आर्दश शिक्षा समिति करौली जरिये व्यवस्थापक केसरसिह नरूका पुत्र श्री शैतानसिह जाति राजपूत निवासी शिवाज नगर स्टेडियम के सामने करौली तहसील व जिला करौली :—अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1 सरकार जरिये नायव तहसीलदार करणपुर जिला करौली —रेस्पोडेन्ट

<u>अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 9.2.2017 व मुकदमा सरकार बनाम व्यवस्थापक आर्दश शिक्षा समिति करौली मुकदमा नम्बर 453/16 हस्व दफा 91 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नायव तहसीलदार करणपुर के निर्णय दिनांक 9.2.2017 से नाखुश होकर बताया गया है कि केशरसिह नरूका व्यवस्थापक आर्दश शिक्षा समिति के है। इनके विरूद्व किसी प्रकार का कोई राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। ना ही अतिक्रमण के सम्बन्ध मे कोई सूचना दी गई है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर बिना प्रार्थी को सुने ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। साथ ही पटवारी हल्का से कोई जिरह नही कराई है। मातहत अदालत ने छपा हुआ फार्म पर ही निर्णय पारित किया गया है। धारा 91 का जो नोटिस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है उस पर किस के हस्ताक्षर है तामिल कुलिदा द्वारा अंकित नही किया गया है। यह समिति भारत वर्ष मे बच्चो को भारतीय संस्कृति अनुसार शिक्षा देती है जिसका विद्यायल करणपुर मे स्थित है। विद्यालय की जमीन सन 2014 मे सूरजमल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी सवाई माधोपुर द्वारा खसरा नम्बर 31 व 32 दान मे दिया गया है उसी पर निर्माण कराया गया है। हमने राजकीय भूमि पर कोई निर्माण नही किया गया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि अपीलान्ट की तामिल जो कराई गई है। उस पर किस के हस्ताक्षर है तामिल कुलिन्दा ने अंकित नही किया गया है अपीलान्ट करौली मे निवास करता है। न्यायालय द्वारा छपे हुये फार्म मे निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व है। हमारा भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का करणपुर ने एक रिपोर्ट राजकीय भूमि गैरमुमकिन बैहड खसरा नम्बर 34/01 रकवा 0.02 विस्वा पर पक्का भवन बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिसमे नायव तहसीलदार करणपुर द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्टी को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसे तामिल कुलिन्दा द्वारा अपीलान्ट को

अंकित नही किया गया है और नाही इस समिति की भूमि किस तरफ है अंकित नही कि गई है ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार प्रतित होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार करणपुर का निर्णय दिनांक 9.2.2017 अपास्त किया जाता है और पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है अपील अपीलान्ट को अब पुनः सुनवाई का अवसर देते हुआ विवादित भूमि का मौके पर जानकारी करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार करणपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली